पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड का संविधान

अनुच्छेद (1) पार्टी का नाम :

पार्टी का नाम पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड होगा । जिसे आगे पार्टी कहा जायेगा ।

अनुच्छेद (2) (क) पार्टी के उद्देश्य एवं लक्ष्यः

(1) पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सही श्रद्धा और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंण्डता को अक्षुण्ण रखेगी ।

(2) पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड भारत के बेकवर्ड वर्ग का क्रांतिकारी अगवा दस्ता है। उसका उद्देश्य है बेकवर्ड के अधिनायकत्व के राज्य की स्थापना के जरिये समतावाद तक पहुॅचाना। संगठन अपनी सारी गतिविधियेां में राष्ट्र निर्माता लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बिरसा मूंडा, इ.व्ही रामास्वामी नायकर, पेरियार, डॉ. भीमराव अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा ललई सिंह यादव तथा बाबु जगदेव प्रसाद कुश्वाहा के दर्शन और सिद्धान्तों से निर्देशित है, जो मेहनत वश जनता को मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण खत्म करने और अपने पूर्ण मुक्ति का सही रास्ता दिखलाने वाला एकमात्र दर्शन है । देश में सभी जाति एवं धर्मो के लोगों के अधिकार को संरक्षित करना, सभी के संविधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हुए संगठन कमेरा राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद रखता है ।

(3) पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड देश के किसान, मजदूर व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा योग्यता के अनुरूप उचित अधिकार दिलाने के लिऐ कृत संकल्पित है ।

(ख) अनिवार्य योग्यता :

(1) पार्टी सभी पदों तथा पदाधिकारियों के समयबद्ध नियमित चुनाव 04 (चार) वर्ष में एक बार अवश्य कराएगी ।

(2) पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद को अपने मूल सिद्धान्त घोषित करती है

(3) पार्टी यह घोषित करती है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी और न ही उसमें शामिल होगी ।

(4) पार्टी यह घोषित करती है कि वह अपने पंजीकरण के पांच वर्षो के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव लड़ेगी तथा उसके पश्चात चुनाव लड़ना जारी रखेगी ।

अनुच्छेद (3) सदस्यता :

(क) 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो पार्टी से संविधान की अनुच्छेद 2 को स्वीकार करता हो 10/– रूपया वार्षिक शुल्क देकर पार्टी का प्रारंभिक सदस्य बन सकेगा । शर्त यह है कि वह अन्य किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य न हो। यदि किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का समस्य इस पार्टी का सदस्य बनना चाहता है तो उसे ऐसे राजनीतिक पार्टी को उसके द्वारा दिये गये त्यागपत्र/इस्तीफे की प्रति पार्टी के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही ऐसे व्यकिक्त की सदस्यता पर विचार किया जा सकेगा ।

(ख) जो प्रारम्भिक सदस्य कम से कम 25 प्रारम्भिक सदस्यों की भर्ती करें और उनका 250/– रू0 सदस्यता शुल्क जमा करें वह पार्टी का सक्रिय सदस्य होगा।

(ग) सदस्यता का कार्यकाल तीन वर्ष होगा जो पहली अप्रैल से प्रारंभ होकर तीसरे वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

(घ) सदस्यता शुल्क विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार बॉटा जायेगा।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
राज्य कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
जिला/नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी	25 प्रतिशत

सदस्यता का पूरा शुल्क संबंधित राज्य कार्यालय में जमा किया जायेगा, जहां से पार्टी के नये चुनावों के बाद उपरोकत वर्णित व्यवस्थानुसार वितरित होगा ।

अनुच्छेद (4) सदस्यों की सूची :

(1) जिला स्तर पर प्रारंभिंक एवं सक्रिय सदस्यों की सूची जिला अध्यक्ष की देख–रेख में अलग–अलग रजिस्टर में तैयार की जायेगी। जिला अध्यक्ष एवं

महासचिव दोनों के हस्ताक्षरों से सक्रिय सदस्यों की सूची राज्य कार्यकारिणी को भेजी जायेगी ।

(2) बोगस या फर्जी सदस्यता की लिखित शिकायत यदि तथ्यों के साथ जिला अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष से की जाती है जो जिला अध्यक्ष अपने स्तर से जांच करा कर रिपोर्ट राज्य अध्यक्ष को भेजेगा अथवा राज्य अध्यक्ष स्वयं या राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिस तरह से उचित समझे, इसकी जांच करायेगा यदि जांच से यह सिद्ध हो जाता है कि सदस्यता बोगस है तो बोगस सदस्यता प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी पद के लिये अयोग्य समझा जावेगा। राज्य अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां की जा सकेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इसकी सुनवाई करा सकता है । राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्य कारी होगा।

(3) सदस्यता सूची में सदस्य का नाम/स्थायी पता, भर्ती की तिथी तथा सदस्यता फार्म का क्रमॉक अंकित किया जायेगा।

(4) मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, पार्टी से निष्कासित किये जाने पर सदस्यता समाप्त हो जावेगी ।

अनुच्छेद (5) संगठनात्मक ढॉचा :

पार्टी के निम्नलिखित अंग होगे :–

(1) राष्ट्रीय संगठन

(1) राष्ट्रीय सम्मेलन

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी

(2) राज्य/ प्रान्तीय संगठन

(1) राज्य सम्मेलन

(2) राज्य कार्यकारिणी

(3) जिला स्तरीय संगठन

(1) जिला सम्मेलन

(2) जिला कार्यकारिणी

(4) नगरीय संगठन :

(1) नगर निगम सम्मेलन एवं नगर निगम, कार्यकारिणी

(2) नगर पालिका सम्मेलन एवं नगर पालिका कार्यकारिणी

(5) विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संगठन :

(1) विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन

(2) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी

(6) प्रारंभिक समितियाँ :

नोटः

(1) प्रारंभिक समिति का क्षेत्र एक मतदान केन्द्र होगा।

(2) इस संविधान में उल्लिखेत राज्य शब्द में केन्द्र शाषित क्षेत्र भी शामिल होगा।

(3) 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों के संगठन को इसे संविधान के अन्तर्गत पृथक जिला स्तरीय संगठन माना जायेगा ।

अनुच्छेद (6) राज्य की इकाइयों का क्षेत्र :

(1) भारतीय संविधान की प्रथम सूची में उल्लिखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुरूप पार्टी की राज्य इकाइयों का गठन होगा ।

(2) राज्य इकाईयों का मुख्यालय सम्बंधित राज्य /केन्द्र शसित क्षेत्र. की राजधानी में होगा ।

अनुच्छेद (7) कार्यकाल :

प्रत्येक सम्मेलन, प्रत्येक कार्यकारिणी, प्रत्येक समिति तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा ।

अनुच्छेद (8) सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया तथाः

पार्टी की सभी शीर्ष स्तरीय समितियों तथा प्रतिनिधि निकायों, प्रत्येक कार्यकारिणी, प्रत्येक समिति का गठन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होगा तथा ऐसे निकायों के चुनाव होने की अवधि तक उनका नामांकन अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए हो सकेगा तथा ऐसा नामांकन, समिति/निकाय की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकेगा।

अनुच्छेद (9) प्रारम्भिक समिति :

(1) प्रारम्भिक समिति का गठन केवल वहीं हो सकेगा, जहां एक मतदान केन्द्र के प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक सक्रिय सदस्य हो। सक्रिय सदस्यों की सूची में से ही प्रारम्भिक समिति का अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

(2) 25 प्रारंभिक सदस्यों पर प्रारम्भिक समिति अध्यक्ष सहित सात सदस्यीय और 25 से ज्यादा सदस्य होने पर अध्यक्ष सहित ग्यारह सदस्यीय होगी। जिनका चुनाव प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(3) नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड को प्रारम्भिक समिति माना जायेगा।

अनुच्छेद (10) विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन एवं कार्यकारिणी :

(1) विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर जिसमें नगर पंचायत भी शामिल है, प्रत्येक सक्रिय सदस्य विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन का सदस्य होगा।

(2) पार्टी के सक्रिय सदस्य एवं विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर निवास करने वाली पार्टी के विधायक, सांसद, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष डी.सी. एफ, सदस्य जिला पंचायत, संचालक जिला सहकारी बैंक और शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं निदेशक विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों के लिये पार्टी का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है।

(3) विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन द्वारा अध्यक्ष सहित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव के साथ–साथ क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जायेगा। सभी स्तर के प्रतिनिधियों के लिये सक्रिय सदस्य होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष , एवं एक महासचिव, तीन सचिवों एवं एक कोषाध्यक्ष को मनोनीत करेगा।

(4) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी का अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक एक माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलायेगा।

अनुच्छेद (11) जिला सम्मेलन एवं जिला कार्यकारिणी :

जिला सम्मेलन में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(1) जिले के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों एवं तीन लाख से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं के सम्मेलन द्वारा जिला सम्मेलन के लिये चुने हुए प्रतिनिधि।

(2) जिले के पार्टी के सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसद और विधायक, अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष जिला सहकारी संघ अध्यक्ष क्षेत्र अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत और राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं संचालक तथा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष जिला सम्मेलन के पदेन सदस्य होंगे, बशर्ते वे पार्टी के सक्रिय सदस्य हों। सभी जिला कार्यकारिणी के पदेन सदस्य भी होंगे।

(3) जिला सम्मेलन अध्यक्ष सहित 31 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का चुनाव करेगा। अध्यक्ष इन सदस्यों में एक उपाध्यक्ष, एवं महासचिव एक कोषाध्यक्ष व सात सचिवों को मनोनीत करेगा। जिला कार्यकारिणी बैठक महीने में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।

(4) जब तक 50 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र समितियों का गठन नहीं होता, जिला सम्मेलन और जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सकेगा।

अनुच्छेद (12) नगर निगम/नगर पालिका सम्मेलन :

इन सम्मेलनों का गठन निम्नवत होगा।

(1) नगर निगम/नगर पालिका (तीन लाख आबाद या इससे अधिक) के प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के सभी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे। जो कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिशत नगर पालिका सम्मेलन, 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

(2) नगरपालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सभी सक्रिय सदस्य नगरपालिका सम्मेलन प्रतिनिधि होंगे। जो 20 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को जिला सम्मेलन 10 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे।

(3) नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत निवास करने वाले विधायक, संसद सदस्य, नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम पार्षद तथा नगर पालिका सभासद, यदि ये पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं तो नगर निगम

सम्मेलन अथवा नगरपालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। ये सभी नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी पदेन सदस्य भी होंगे।

अनुच्छेद (13) नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी :

(1) नगर निगम की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित 31 सदस्यों का चुनाव नगर निगम सम्मेलन करेगा और अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं पांच सचिवों को मनोनीत करेगा।

(2) नगरपालिका की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव नगरपालिका सम्मेलन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं तीन सचिवों को मनोनीत करेगा।

(3) नगर निगम एवं नगरपालिका के वार्ड स्तर पर भी पार्टी की इकाइयों का गठन किया जायेगा।

(4) नगरपालिका में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 5 तथा नगर निगम में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 10 सक्रिय सदस्यों के होने पर ही वार्ड कमेटी का गठन किया जा सकेगा। वार्ड के प्रारंभिक सदस्य वार्ड कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं 20 सदस्यों का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष एवं महासचिव और तीन सचिवों को मनोनीत करेगा। पदाधिकारी केवल सक्रिय सदस्य ही हो सकेंगे।

(5) कम से कम 50 प्रतिशत वार्ड समितियों का गठन होने पर ही नगरपालिका सम्मेलन कार्यसमिति एवं नगर निगम सम्मेलन कार्यकारिणी का गठन हो सकेगा। कार्यकारिणी की बैठक महीने में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।

अनुच्छेद (14) राज्य सम्मेलन :

राज्य सम्मेलन के निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे :

(1) राज्य कार्यकारिणी द्वारा नामित निर्वाचन अधिकारी की देख–रेख में विधानसभा क्षेत्रसम्मेलनों, नगर निगम/नगर पालिका (तीन लाख आबादी) के वार्ड सम्मेलनों तथा नगरपालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सम्मेलनों द्वारा चयनित राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि।

(2) प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के भी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे। विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी की तरह चुनाव करेंगे तथा कुल सक्रिय

सदस्यों में से 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन, 10 प्रतिशत महानगर सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधि चुनेंगे।

(3) संबंधित राज्य के पार्टी के सभी संसद सदस्य, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, अध्यक्ष नगर निगम, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, राज्य कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्ष, समस्त जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष, तीन लाख के ऊपर की आबादी वाले सभी नगर अध्यक्ष, शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। शर्त यह है कि उक्त सभी को पार्टी का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य होगा।

(4) पार्टी के सबंद्ध संगठनों के जिला अध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिध होंगे।

(5) जब तक किसी राज्य के अन्तर्गत कम से कम 30 प्रतिशत जिला सम्मेलनों/नगर निगम सम्मेलनों/नगर पालिका सम्मेलनों का गठन नहीं होता, राज्य सम्मेलन का गठन नहीं हो सकेगा।

अनुच्छेद (15) राज्य कार्यकारिणी :

(1) राज्य सम्मेलन, राज्य कार्यकारिणी के लिये अध्यक्ष सहित 51 सदस्यों का निर्वाचन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं 12 सचिवों को मनोनीत करेगा।

(2) राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद में पार्टी विधायक पार्टी के नेता राज्य–कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अपने–अपने राज्यों में राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। सम्बद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्ष एवं सहकारी शीर्षस्थ संस्थाओं के राज्य अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। अपने जिले की कार्यकारिणी में भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पदेन सदस्य होंगे।

(4) राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष दो माह में कम से कम एक बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक अवश्य बुलायेगा।

(5) राज्य कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्यों अथवा राज्य सम्मेलन के 50 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य सम्मेलन की बैठक बुलाने को अध्यक्ष बाध्य होगा।

(6) राज्य सम्मेलन तीन वर्ष में एक बार अवश्य आहुत किया जायेगा।

अनुच्छेद (16) राष्ट्रीय सम्मेलन :

(1) राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिनिध होंगे :

(क) प्रत्येक राज्य मे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये चयनित प्रतिनिधि।

(ख) पार्टी के सभी संसद, सभी विधायक एवं सभी भूतपूर्व संसद सदस्य और पार्टी के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष।

(ग) पार्टी के सभी राज्य अध्यक्ष, सम्बद्ध संगठनों के सभी राज्य एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष।

(घ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य।

(ड़) पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यदि वह पार्टी के सक्रिय सदस्य हों।

(च) इस धारा की उप धारा 1 (क) से (ड़) के प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर अथवा राष्ट्रीय सम्मेलन के 40 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है।

(3) 3 वर्ष के अन्दर कम से कम एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक अवश्य होगी।

(4) राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों के चयन को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

अनुच्छेद (17) राष्ट्रीय कार्यकारिणी :

(1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 51 सदस्य होगें । राष्ट्रीय सम्मेलन अध्यक्ष सहित 41 सदस्यों का निर्वाचन करेगा 10 सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिये मनोनीत करेगा। ऐसे सदस्यों के लिये पार्टी का सक्रिय होना अनिवार्य होगा । राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से 6 उपाध्यक्ष एक कोषाध्यक्ष, 1 महासचिव एवं 6 सचिवों को मनोनीत करेगा ।

(2) पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष सम्मेलन द्वारा लिये गये विर्णयों का क्रियान्वयन कराने का दायित्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होगा।

(3) पार्टी के संविधान की विभिन्न धाराओं की व्याख्या एवं प्रयोग संबंधी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार अंतिम एवं निर्णायक होगा ।

(4) राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रत्येक बैठक के समक्ष सम्मेलन की पिछली बैठक की कार्यकारिणी का विवरण और उस बैठक की विषय सूची रखेगी ।

(5) राष्ट्रीय सम्मेलन का कोई सदस्य यदि सम्मेलन की बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह सम्मेलन की बैठक से कम से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपना प्रस्ताव भेजेगा । राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव से सहमत होने की दशा में विचार हेतु सम्मेलन में ला सकती है ।

(6) राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की समस्त इकाइयों के रिकार्ड अभिलेख, कागजात, और वहीं खाता की जांच करने के लिये लेखा परीक्षकों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है । सभी इकाइयों के लिये इन लेखा परीक्षकों एवं अधिकारियों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(7) आवश्यकता पड़ने पर पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लियेनियम बनाना, नियमों का क्रियान्वयन कराना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार होगा । राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस तरह बनाये गये नियमों का अनुमोदन राष्ट्रीय सम्मेलन की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से किया जावेगा इस तरह के नियम राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाये जाने के तुरन्त बाद से ही लागू हो सकेगें, भले ही उनका अनुमोदन बाद में हो

(8) पार्टी संविधान के अधीन विभिन्न इकाइयों को निर्देश देने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा।

(9) राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही वह तारीख तय करेगी जिस पर उसके अन्तर्गत जिला और राज्य इकाइयों तथा राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन का कार्य पूरा होगा ।

(10) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दो माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा अवश्य बुलाई जायेगी ।

(11) संसदीय पार्टी का नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा । राज्य कार्यकारिणीके अध्यक्ष और पार्टी के विधान मण्डल पार्टी के नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होगें। सम्बद्ध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होगें ।

अनुच्छेद (18) अध्यक्ष :

(क) अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पार्टी के विशेष अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(ख) पार्टी का अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुशासन सम्बंधी कोई भी कार्यवाही करने में सक्षम होगा। यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि पार्टी के किसी पदाधिकारी या सदस्य का आचरण पार्टी विरोधी है तो अध्यक्ष ऐसे किसी भी पदाधिकारी, सदस्य या सदस्यों को पार्टी से निलंबित कर सकता है। लेकिन ऐसे मामले को जॉच के लिए सम्बंधित अनुशासन समिति को प्रेषित करना होगा।

(ग) जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही होगी, उस अवधि में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। इस दौरान लिए गये निर्णयों की पुष्टि कार्यकारिणी की अगली बैठक में करनी होगी ।

(घ) कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा । कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को बाध्य होगा ।

(ड़) कार्यकारिणी के किसी सदस्य के त्याग–पत्र देने, मृत्यु होने या पार्टी से निकाले जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों/स्थान को अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुमति से शेष कार्यकाल के लिये मनोनयन के द्वारा भर सकेगा ।

(च) पार्टी के सम्बद्ध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा । सम्बद्ध संगठनों की राज्य कार्यकारिणी का गठन राज्य अध्यक्ष मनोनयन के द्वारा करेगा लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसका पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से कराना होगा।

अनुच्छेद (19) उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, या राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा । समय समय पर अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत उपाध्यक्ष वह सभी कार्य करेगा, जिसके लिये उसे अधिकृत किया गया है ।

अनुच्छेद (20) कोषाध्यक्ष :

कोषाध्यक्ष पार्टी के कोष का व्यवस्थापक होगा। वह समस्त पूंजी विनियोग आमदनी तथा खर्च का हिसाब रखेगा ।

अनुच्छेद (21) महासचिव :

अध्यक्ष द्वारा सौपे गये उत्तरदायित्वों क अनुसार सम्बंधित महासचिव पार्टी के अधिवेशन/विशेष अधिवेशन की कार्यवाही तैयार करेगा तथा उसका प्रकाशन कराना उस महासचिव का दायित्व होगा राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यो का विवरण तैयार करना, अगली बैठक में उसे प्रस्तुत करने का कार्य भी उक्त महासचिव का होगा ।

अनुच्छेद (22) सचिव :

अध्यक्ष एवं महासचिव से परामर्श करते हुए उनक निर्देशानुसार पार्टी के लिए कार्य करेगा ।

अनुच्छेद (23) :

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धि सम्मेलनों का गठन न होने पर विधान सभा क्षेत्र, नगर निगम, नगर पालिका, जिला कार्यकारिणी तथा राज्य कार्यकारिणी का मनोनयन पार्टी की आम सभा के समस्त सदस्यों द्वारा किया जायेगा

अनुच्छेद (24) केन्द्रीय संसदीय बोर्ड (सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट्री बोर्ड) :

पार्टी का एक केन्द्रीय संसदीय बोर्ड होगा जिसकी संख्या सात होगी । पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत महासचिव बोर्ड का सचिव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन पार्टी संसदीय पार्टी के नेता सहित अधिक से अधिक 6 सदस्यों को संसदीय बोर्ड के लिए मनोनीत करेगा। राज्यके विधान मण्डलों एवं संसद के निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का चयन करने वाली अन्तिम निर्णायक संस्था के रूप में केन्द्रीय संसदीय बोर्ड कार्य करेगा। चुनाव चिन्ह का आवंटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

के हस्ताक्ष्र से होगा । अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस व्यक्ति को अधिकृत करेगा उसके हस्ताक्षर से चुनाव चिन्ह का आवंटन हो सकेगा।

अनुच्छेद (25) राज्य संसदीय बोर्ड :

1. पार्टी के प्रत्येक राज्य संसदीय बोर्ड की सदस्या संख्या अध्यक्ष सहित नौ होगी । राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष पार्लियामेन्टी बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा महासचिव बोर्ड का सचिव होगा। राज्य अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के अनुमोदन से विधान मण्डल पार्टी के नेता सहित अधिकतम आठ व्यक्तियों को संसदीय बोर्ड का सदस्य मनोनीत करेगा।
2. राज्य संसदीय बोर्ड विधान मण्डलों एवं स्थानीय निकायों से पार्टी के सदस्यों के लिये मार्गदर्शक का कार्य करेगा
3. राज्य संसदीय बोर्ड अपने– अपने राज्यों से लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकाय के चुनावों के समय प्रत्याशियों के नामों का पैनल केन्द्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगा ।

अनुच्छेद (26) विशेष अधिवेशन :

1. पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन 3, वर्षो में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर होगा, लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन के 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा मॉग करने पर या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित करने पर विशेष अधिवेशन एक माह पूर्व की सूचना पर कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकता है । अधिवेशन पार्टी के लिये दिशा–निदेश का कार्य करेगा
2. अधिवेशन के लिये प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों को ही माना जायेगा। अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जायेगी ।
3. जिस राज्य में अधिवेशन हो रहा है उस राज्य की कार्यकारिणी अधिवेशन के लिये स्वागत समिति के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी तैयारी के लिये सारी व्यवस्था जिसमें इस हेतु धन संग्रह एवं उसका हिसाब–किताब शामिल है, राज्य कार्यकारिणी ही करेगी ।

अनुच्छेद (27) विषय निर्धारण समिति :

1. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष अधिवेशन से पहले जब विभिन्न प्रस्तावों के चयन हेतु बैठेगी तो उसे विषय निर्धारण समिति का नाम दिया जायेगा।

2. राष्ट्रीय सम्मेलन/विशेष अधिवेशन के लिये प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी, द्वारा विषय निर्धारण समिति को भेजे गये प्रस्ताव और राज्य सम्मेलनो द्वारा अधिवेशन से कम से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी, का भेजे गये प्रस्ताव जिन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सहमत हो, विषय निर्धारण समिति के समक्ष रखे जायेगें। विषय निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत न होने पर अधिवेशन की बैठक के ठीक पहले यदि कम से कम 100 प्रतिनिधि इस प्रस्ताव को रखने के लिये लिखकर दे तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय देगा।

अनुच्छेद (28) कोरम :

पार्टी के समस्त सम्मेलनों एवं विशेष अधिवेशनों की बैठकों के लिये कोरम कुल संख्या का 20 प्रतिशत होगा । कार्य समितियों की बैठक का कोरम कुल संख्या का एक तिहाई होगा।

अनुच्छेद (29) कोर कमेटी :

पाँच सदस्यीय एक कोर कमेटी होगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष , राष्ट्रीय महासचिव, किन्हीं दो प्रान्तों के प्रान्तीय अध्यक्ष/सचिव में से एक–एक यह चारों मिलकर कोर कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, कोर कमेटी राष्ट्रीय समिति को समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी तथा अनुशासन, व्यवस्था, चुनाव संचालन, समन्वय तथा समस्त समितियों की राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्शानुसार निगरानी करेगी।

अनुच्छेद (30) बैठक की सूचना :

विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी/नगर पालिका/नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की पूर्व सूचना पर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 दिन की पूर्व सूचना पर सम्बन्धित अध्यक्ष द्वारा आहूत की जा सकेगी । असामान्य परिस्थितियों में बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है ।

अनुच्छेद (31) बैठकों की वैधता :

पार्टी की विभिन्न समितियों, परिषदों अन्य प्रतिनिध निकायों की बैठकों के वैध होने के लिये कुल पदाधिकारियों के न्यूनतम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है ।

अनुच्छेद (32) बैंक खाता :

विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, नगर पालिका कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी, के बैंक खाते पार्टी की सम्बन्धित इकाइयों के नाम से खोलें जावेगें और सम्बन्धित इकाई के अध्यक्ष/महासचिव एवं कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगें । बैंक खाते राष्ट्रीकृत बैंक में ही खोले जायेगें।

अनुच्छेद (33) लेखा पुस्तकों का परीक्षण :

पार्टी के रूप में पार्टी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर आयोग को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। पार्टी का लेखा परीक्षण सी. ए. जी.के पैनल में शामिल आडिटर से कराया जाएगा तथा पार्टी का फण्ड केवल राजनैतिक कार्यो के लिए ही इस्तेमाल किया जायेगा । पार्टी अपने वित्तीय लेखों के रख रखाव में आयोग द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगी ।

अनुच्छेद (34) निर्वाचन प्रकिया :

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनावः

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी, किसी भी एक व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी, नियुक्त करेगी । निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पन्न करा सके, इसलिये निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष दो सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता है ।

(ख) राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी सदस्यों को निर्वाचन की सूचना निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अथवा ई–मेल/एस0एम0एस0 से दी जायेगी ।

(ग) अध्यक्ष पद के लिये राष्ट्रीय सम्मेलन के दस समस्य किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करेगें जो राष्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य हो । राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिये राष्ट्रीय सम्मेलन का एक सदस्य जो किसी अन्य सदस्य जो राष्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य हो का नाम प्रस्तावित कर सकेगा।

(घ) नामांकन वापसी के बाद यदि चुनाव आवश्यक हुआ तो अगले दि नही पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर, नियत स्थान पर अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न होगा ।

(ड) मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद मतगणना प्रारंभ कर दी जायेगी और जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, यह कार्यवाही जारी रहेगी ।

(च) राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष के उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार और कार्यकारिणी के निर्वाचन में सर्वाधिक मत पाने वाले प्रथम 25 उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया जायेगा।

(2) राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचनः–

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी, द्वारा निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करायेगा ।

(ख) राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार बनने के लिये राज्य सम्मेलन के किसी सदस्य के नाम का प्रस्ताव राज्य सम्मेलन के किसी एक अन्य सदस्य द्वारा किया जाना आवश्यक है ।

(ग) अध्यक्ष पद हेतु राज्य सम्मेलन का कोई भी सदस्य जिसके नाम का प्रस्ताव राज्य सम्मेलन के दस सदस्यों द्वारा किया गया हो, उम्मीदवार बन सकता है ।

(घ) राज्य सम्मेलन के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव में एक नाम का ही प्रस्ताव कर सकेगें ।

(ड) नाम वापसी के बाद यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो अगले दिन मतदान कराया जावेगा। मतदान के तुरन्त बाद मतगणना सम्पन्न होगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी के विजयी सदस्यों की घोषणा कर दी जायेगी।

(च) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी, नगर निगम एवं नगर पालिका कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रतिनिधियों, राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधियों एव ंजिला सम्मेलन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन धारा निर्वाचन अनुच्छेद 34 (2) के अनुसार ही सम्पन्न किया जायेगा ।

अनुच्छेद (35) निर्वाचन सम्बंधी विवाद :

इस तरह के जिला स्तरीय विवादों को राज्य कार्यकारिणी निपटायेगी। राज्य के निर्वाचन संबंधी विवाद के मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी,किसी अधिकारी को नियुक्त करकेजांच करायेगी तथा अन्तिम निर्णय देगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, द्वारा नियुक्त अधिकारियों का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा

अनुच्छेद (36) अनुशासन समिति :

अनुशासन हीनता के मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक 5 सदस्यीय समिति का गठन करेगी। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होगें। समिति से निश्चित समय सीमा के अन्दर जॉच रिपोर्ट एवं संस्तुतियों को प्राप्त करके तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से अध्यक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम होगा ।

अनुच्छेद (37) संविधान में संशोधन :

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सिफारिश पर राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष अधिवेशन कुल सदस्यों के बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुतत से अनुच्छेद (2) को छोड़कर पार्टी के संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है ।

अनुच्छेद (38) पार्टी के विलय एवं विघटन संबंधी प्रावधान :

पार्टी के विघटन या किसी अन्य पार्टी के साथ विलय का निर्णय पार्टी की केन्द्रिय समितिय/ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा । इसके पश्चात यह प्रस्ताव, पार्टी की उस समय तक विद्यमान, समस्त स्तरों की कार्यकारिणियों/ परिषदों को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा । पार्टी की कम से कम 2/3 कार्यकारिणियों/ परिषदों के अनुमोदन के पश्चात यह प्रस्ताव अंतिम रूप में पारित होगा।